ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी, विकास खण्ड व तहसील सलूणी, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी, विकास खण्ड सलूणी जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया l

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती रोमिका शर्मा	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री अमर चन्द शर्मा	23-01-16 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री नरेन्द्र सिंह	18-12-08 से 21 -04-17

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {`लाखों में}
1.	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.39
2.	7	अनुदान राशियों का अधिक खर्च करना	2.11
3.	7.1	अनुदानों का अवरोधन	15.85
4 .	8	निर्माण कार्य पर मूल्यॉंकन से अधिक व्यय करना	0.22
5 .	10	निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत न करना	विवरणानुसार
6.	12	औपचारिकता को पूर्ण किए बिना खरीद बारे	13.84
7.	13	निर्माण सामग्री का स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे	13.03

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 01/4/2014 से 31/03 /2017 के वर्तमान लेखाओं का अंकेक्षण/जाँचपरीक्षण,जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है,श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी व श्री प्रीतम चन्द,कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06-12-2017 से 12 -12 -2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय ठाकरी मट्टी में किया गया l आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 01 /15 ,08/15 व 09/16 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए माह 12/14,05/15 व 01/17 को चयनित किया गया l

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है l उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा l

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹5400 बनता है l उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:285 दिनांक 12-12-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी से अनुरोध किया गया l

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत **ठाकरी मट्टी** द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1}स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	151698	112924	**264622**	26439	**238183**
2015-16	238183	82157	**320340**	151338	**169002**
2016-17	169002	35129	**204131**	74547	**129584**

{2}अनुदान :- ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	731649	1608398	**2340047**	1480663	**859384**
2015-16	859384	1413927	**2273311**	1450229	**823082**
2016-17	823082	3290443	**4113525**	2528140	**1585385**

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	HPSCB salooni	18910103701	796197
2.	----do------	18910107612	1241
3.	SBI Lachori	36501768104	343786
4.	SBI Lachori	36501906400	300020
5.	HP GRAMIN BANK	9903810005008	272052
6.		cash in hand	1673
		TOTAL	**₹1714969**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹1714969

(ख)दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):-₹1714969

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था l सचिव द्वारा उक्त वित्तीय स्थिति तो तैयार की गई परन्तु रोकड़ बही व पास बुकों का मिलान नहीं किया गया था जो कि अंकेक्षण द्वारा स्वयं तैयार किया गया ,जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 7 (3)एवं 10(1)के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अपेक्षित था l अत:पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है l अत: भविष्य में पंचायत की रोकड़ बही व बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये l

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को तैयार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी l प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी l इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है l इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है l इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये l

6 पंचायत राजस्व ₹0.39 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व:-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-17 तक पंचायत के राजस्व ₹38500 की वसूली शेष थी l

(क)गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	18250	18250	36500	0	36500
2015-16	36500	24100	60600	58200	2400
2016-17	2400	24100	26500	0	26500

(ख)मोबाइल टावर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	6000	2000	**8000**	0	**8000**
2015-16	8000	2000	**10000**	0	**10000**
2016-17	10000	2000	**12000**	0	**12000**

कुल जोड़:-₹26500+₹12000=₹38500

उक्त बकाया राशियों को तुरन्त वसूल कर पंचायत निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए l

7 अनुदानों का प्राप्त राशि से ₹2.11 लाख अधिक व्यय करने बारे :-

पंचायत सचिव **ठाकरी मट्टी** द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-17 को अनुदान VKVNY,MMGPGY के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः **₹171475, ₹40000** इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से **₹211475** अधिक खर्च किए गए जोकि एक गम्भीर अनियमितता है l इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए l

7. 1 अनुदान ₹15.85 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹1583385** उपयोग हेतु शेष थी l ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा l इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत **ठाकरी मट्टी** को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गयाl अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए l

8 निर्माण कार्य पर स्वीकृत/मूल्याँकन से ₹0.22 लाख अधिक व्यय करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि में निर्माण कार्यों पर स्वीकृत/मूल्याँकन से ₹21960 अधिक खर्च किए गए l जो कि एक गम्भीर अनियमितता है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व राशि को सम्बन्धित से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में निर्माण कार्यों की स्वीकृत/ मूल्याँकन राशि से अधिक राशि न खर्च करके इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए l

क्रम संख्या	वर्ष	निर्माण कार्य का नाम	माप पुस्तिका व पृष्ठ	स्वीकृत राशि / मूल्यांकित राशि/प्राप्त राशि	व्यय की राशि	अधिक खर्च
1.	2016-17	grill cum boundary wall at G.P. T.MATTI	2224 पृष्ठ 18 से 20	**44828**	**66728**	**21900**
					कुल अधिक खर्च	**₹21900**

9 सीमेंट की 975 बोरियां को प्राइवेट फर्म से खरीदने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट -3** के अनुसार **975** सीमेंट की बोरियां प्राइवेट फर्म से खरीदी गई थी सीमेंट की खरीद प्राइवेट फर्म से तभी की जा सकती थी जबकि नजदीकी यह सिविल सप्लाई कारपोरेशन डिपो से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होना अपेक्षित था हालांकि मनरेगा निधि के अंतर्गत सीमेंट की खरीद सिविल सप्लाई कारपोरेशन से की गई है l परन्तु अन्य निधि में खरीद प्राइवेट फर्म से की गई है जोकि अनुचित है ,सिविल सप्लाई कारपोरेशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व् अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

10 कनिष्ठ अभियंता स्तर के निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/- व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशाशनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था l निर्माण कार्यो से चयनित माह के सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा कनिष्ठ अभियंता स्तर के निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई ,जिसके आभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी l अत: निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

11 अनुचित रूप से ₹830 का विक्रय-कर भुगतान करने बारे:-

वा सं 11 माह 05/15 की जाँच करने पर पाया गया कि मै० चम्बा जनरल स्टोर से `17428 स्पोर्ट्स किट खरीदी गई उक्त खरीद से सम्बन्धित कुटेशनो की जाँच करने पर पाया गया कि सभी फर्मो द्वारा दरें विक्रय-कर के साथ दर्शाई गई थी जबकि उक्त फर्म द्वारा अपने बिल में **₹830** विक्रय कर की राशि अलग से वसूल किया गया l जो की अनुचित था l उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹13.84 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है l व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹**1384340** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है l अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी को अवगत करवाया गया ,जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है l अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाएl

13 क्रय की गई ₹13 .03 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण , भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है l परन्तु पंचायत के अवधि 04/14 से 3/17 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर **₹1303174** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है l जो कि एक गम्भीर मामला है l अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया l बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी l अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए भण्डार प्राप्ति व उपयोग लेखा तैयार कर अंकेक्षण से जांच करवाया जाए अन्यथा यह राशि वसूली योग्य है l

14 निर्माण सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट -3** के अनुसार पत्थर की **186.65 फरी(ढेर)** की खरीद पंचायत द्वारा की गई है परन्तु पत्थरों की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई है जिसके आभाव में पत्थर की सही मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जो कि एक गम्भीर अनियमितता है मामला उच्च अधिकारीयों के ध्यान में जाँच हेतु लाया जाता है अत: पत्थर की मात्रा के स्थान पर केवल फरी दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएl

15 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है l अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी को अवगत करवाया गया l

क्रम संख्या	**रजिस्टर/अभिलेख का नाम**
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही

16 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए l

17 **विविध अनियमितताएं :-** ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही l

18 **लघु-आपति विवरणिका:**-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है l

19 **निष्कर्ष** :-लेखों के रख-रखाव सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवश्यकता है l

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(7) 23/2018 खण्ड—1—2968—2971 दिनांक 01.05.2018 शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत ठाकरी मट्ठी, विकास खण्ड सलूणी,, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881